मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ,तहसील:- मलिहाबाद

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 02829/2021

अम्मा बाबू जी फार्मेसी कालेज मलिहाबाद लखनऊ द्वारा सदस्य अजय नरेश यादव बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201810460102829

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 28/12/2021

अंतिम आदेश

प्रार्थी अम्मा बाबू जी फार्मेसी कालेज मलिहाबाद लखनऊ द्वारा सदस्य अजय नरेश यादव पुत्र स्व0 रामनरेश यादव निवासी-01 माल एवेन्यू लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक-12.12.2021 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जॉच तहसीलदार मलिहाबाद के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मलिहाबाद की (नियम-85(3)) पर जांच आख्या दिनांक-26.12.2021 पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या-110 पर गाटा संख्या-1/1 स रकबा-0.7745 हे.मालगुजारी 18रू.03पैसा स्थित ग्राम फिरोजपुर पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। स्थल पर विद्यालय प्रांगण एवं बाउन्ड्रीवाल बनी है तथा आसपास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। जिसपर कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है। जिसकी नियमानुसार पैमाइस की गयी है। सम्बन्धित ग्राम लखनऊ महानगर योजना 2021 के अन्तर्गत नहीं है। उपरोक्त अंकित क्षेत्रफल को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में खतौनी वर्ष 1422 से 1427 फसली के खाता संख्या-110 की प्रति, व खसरा 1359 फसली व खसरा वर्ष 1424 व 1425 फसली तथा स्थल के प्रमाणित फोटो ग्राफस उपलब्ध कराए गए है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

अतएव प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार मलिहाबाद की आख्या दिनांक-26.12.2021 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम फिरोजपुर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ की गाटा संख्या-1/1स रकबा-0.7745 हे.जिसपर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है, को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन (अकृषिक) घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार मलिहाबाद व एक प्रति उप निबन्धक मलिहाबाद को अनुपालन हेतु भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक-28.12.2021

(जय प्रकाश)
उप जिलाधिकारी
मलिहाबाद, लखनऊ

28/12/21

For GAYA PRASAD EDUCATIONAL TRUST